

सं 5/7/2016 – रा. भा. (सेवा) खण्ड - I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी विंग,
चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 8 अक्टूबर, 2021

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के कार्यालय आदेश सं. 05/05/2020 – रा. भा. के संदर्भ में 02 अधिकारियों के स्थानांतरण अन्य मंत्रालय/ विभाग में किए गए थे, किन्तु दोनों अधिकारियों द्वारा जहां उनकी तैनाती की गई है, अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	तैनाती का कार्यालय
1.	सुश्री शोफाली, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
2.	श्री हेमंत कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

2. उपरोक्त तालिकानुसार दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 अपराह्न से कार्यमुक्त (Stand Relieved) के आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 अपराह्न से कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में भी दोनों अधिकारियों को स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जाएगा।

3. सुश्री शोफाली, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा श्री हेमंत कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के वर्तमान तैनाती के मंत्रालय/ विभाग से अनुरोध है कि उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनकी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दें, इनकी सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालय/ विभाग में सीधे भिजवा दिए जाएं।

4. यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(हेमलता)
अवर सचिव (सेवा)

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशा./ स्थापना), राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), तृतीय तल, वाईएमसीए कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110 001
2. अवर सचिव (प्रशा./ स्थापना), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. सुश्री शोफाली, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), तृतीय तल, वाईएमसीए कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110 001
4. श्री हेमंत कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. श्री नगेंद्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी, कृपया कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।